(8)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 36/2017 — दायर दिनांक: 18.04.2017

उनवान

1– (मृतक) रामलाल आ० भागीरथ जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/1– मदनलाल पिता रामलाल जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/2– हरिसिंह पिता रामलाल जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/3– बाबुलाल पिता रामलाल जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/4– धन्नालाल पिता रामलाल जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/5– भगतराम पिता रामलाल जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/6– ईश्वर पिता रामलाल जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल

–वादीगण

बनाम

1– (मृतक) कालूलाल उर्फ कालू वल्द बाला जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/1– दुर्गीलाल पिता कालूलाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/2– मांगीबाई पुत्री कालूलाल जाति कुम्हार नि| मगीसपुर तहसील सुनेल
1/3– ममताबाई पुत्री कालूलाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/4– कंकुबाई पुत्री कालूलाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
2– (मृतक) कन्हैयालाल उर्फ काना वल्द बाला जाति कुम्हार नि.मगीसपुर तहसील सुनेल
2/1– रचना पुत्री कन्हैयालाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
2/2– सपना पुत्री कन्हैयालाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
2/3– दिलीप पुत्र कन्हैयालाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
2/4– पुजा पुत्री कन्हैयालाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
2/5– भुलीबाई बैवा कन्हैयालाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
3– प्रभुबाई पुत्री बाला पत्नी शंकरलाल जाति कुम्हार नि. सिरपोई तहसील सुनेल
4– (मृतक) बरजीबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी लालाजी जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
4/1– कंचनबाई माता बरजीबाई पत्नी रामकिशन जाति कुम्हार नि. मगीसपुर हाल मुकाम रायपुर तहसील रायपुर
4/2 रामकन्या माता बरजीबाई पत्नी कारुलाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर हाल मुकाम फफरोद तहसील झालरापाटन
5– (मृतक) गोपी वल्द भीमा जी जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
5/1– रामप्रसाद पिता गोपी जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
5/2 मोतीलाल पिता गोपी जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
5/3 बादामबाई पुत्री गोपी पत्नी विष्णु जाति कुम्हार नि. मगीसपुर हाल मुकाम डूंगरगांव म.प्र.

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

6 ग्यारसीबाई पत्नी पूरीलाल जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील सुनेल

– प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 91, 88, 209 राज. टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक –
अभिभाषक वादीगण – श्री रामनाथ सिंह
प्रतिवादी सं. 1 से 6 – एकतरफा
प्रतिवादी सं. 7 – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 15.05.2026

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मंगीसपुर पटवार हल्का मंगीसपुर भू अभि. नि. क्षेत्र ढाबलाखीची तहसील पिडावा जिला झालावाड की आराजी खाता संख्या नया 344 पुराना 268 खसरा नम्बर 324 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 325 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 327 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा आरजी स्थित है जो वादी एंव प्रतिवादी नं. 6 के शामलाती खाते कब्जे कास्त की भूमि है। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक संलग्न है। यह कि वादी ने वाद के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी का 1ध्2 हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 के दादाजी धूला वल्द नाथूजी जाति कुम्हार निवासी मंगीसपुर तहसील पिडावा जिला झालावाड राज. वाले से दिनांक 15 जून 1978 को खरीद कर रजिस्टर्ड बयनामा उपपंजियक, पिडावा के यहाँ तस्दीक कराया तभी से वादी उक्त आराजी पर काबिज है एवं मौके पर कारत कर रहा है। रजिस्टर्ड बयनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि दावे के साथ सलग्न है। यह कि वादी ने दिनांक 15 जून 1978 को दावे के पैरा नम्बर 1 में वर्णित आराजी का 1/2 हिस्से का बयनामा अपने नाम निष्पादनकर्ता धूला से निष्पादित एवं रजिस्टर्ड कराया उसके 6 महिने बाद निष्पादनकर्ता/विक्रेता धूला की मृत्यु हो गई बाद में धूला का फौती इन्तकाल उसके लडके बाला भीमा एंव भंवरलाल के नाम तस्दीक हो गया जिसकी जानकारी वादी को नहीं लगी सहवन से वादी के नाम खरीदशुदा आराजी का नामान्तकरण नहीं खुला। यह कि धूलाजी के लडके बाला, भीमा एंव भंवरलाल की भी मृत्यु हो चुकी है। बाला

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

2– ... बाला आयु 47 साल जाति कुम्हार

Scanned with OKEN Scanner

(10)

जी के वारिस कालूलाल कन्हैयालाल एंव पुत्री प्रभूबाई हे जिन्है प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3 बनाया गया है। भँवरलाल की वारिस बरजीबाई है जिसे वाद में प्रतिवादी नं 4 बनाया गया है। भीमा का वारिस गोपी है जिसे दावे में प्रतिवादी नम्बर 5 बनाया गया है। यह कि दावे के पैरा नम्बर 1 में वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से का वादी रामलाल 1978 से पूर्व ही रिकार्डेड खातेदार था एवं शेष 1/2 हिस्सा भी वादी ने 15 जून, 1978 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के दादाजी धुला पुत्र नाथू से खरीदा है। बाद में 1/4 हिस्सा वादी ने प्रतिवादी नं. 6 ग्यारसीबाई को बैचान कर दिया है। यह कि दावे के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी में गलत रूप से संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के नाम होने से वह अपने नाम का अनुचित फायदा उठाने पर अमादा है जिन्है स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में है। यह कि के दावे के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी पर कय कि दिनांक 15 जून 1978 से शेष 1/2 हिस्से पर भी वादी का लगातार कब्जा खातेदार कृषक की हैसियत से चला आ रहा है। रजिस्टर्ड बयनामे के आधार पर वादी विधिक रूप से भी उक्त आराजी का खातेदार स्वामी है। जिसमें से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 के नाम जमाबन्दी से डिलिट करवाकर वादी अपने खाते दर्ज कराने का विधिक रूप से हकदार है। यह कि वादी ने दिनांक 07.03.2017 को खाते से प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को अपना नाम डिलिट करवाकर वादी का नाम खाते में दर्ज करवाने की कहाँ जिस पर प्रतिवादीगण ने मना कर दिया जिस कारण वाद कारण उत्तपन्न हुआ। यह कि वाद में लेण्ड होल्डर राजस्थान सरकार जये तहसीलदार महोदय तहसील पिडावा होने के कारण आवशयक पक्षकार बनाया गया है जिन्हे इस वाद में प्रतिवादी नम्बर 7 बनाया गया है। यह कि दावा अन्दर नियाद एंव उचित कोर्ट फीस पर माननीय न्यायालय में पेश है। यह कि दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि ग्राम मंगीसपुर तहसील पिडावा की आराजी खाता संख्या नया 344 के खसरा नम्बर 324 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 325 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 327 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा आराजी के 1/2 हिस्से से (15 जून 1978 को धुला पुत्र नाथू से 1/2

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

हिस्सा खरीदा से) प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 के नाम हटाकर वादी का नाम खाते दर्ज किया जावे व वादी को खातेदार घोषित करने का निर्णय एव डिकी वादी के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित करने की कृपा करे। अन्य जो भी सहायता नजदीक अदालत बहक वादी पाने का पात्र हो न्यायोचित रास्ता वादी को प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहे जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 14.12.2017, दिनांक 28.02.2019, दिनांक 20.06.2025, दिनांक 10.10.2025, दिनांक 05.12.2025 से प्रतिवादी सं. 1 से 6 एवं उनके वारीसान के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 7 का जवाब अवसर बंद किया गया।

3. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम मंगीसपुर के खाता सं. 344 जमाबंदी सं. 2071–74 प्रदर्श 1, जमाबंदी सं. 2075–78, जमाबंदी सं. 2055–58, रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.06.1978 प्रदर्श 2 एवं मौखिक साक्ष्य में मदनलाल पि. रामलाल PW1, बाबूलाल पि. रामलाल PW2, धन्नालाल पि. रामलाल PW3, भगतराम पि. रामलाल PW4, ईश्वर पि. रामलाल PW5, भारतसिंह पि. फूलचन्द PW6, सुरेश पि. रामलाल PW7, बगदू पि. कूका PW8 के शपथपत्र/बयान कराये।

4. अभिभाषक वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मगीसपुर तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खसरा सं0 324 रकबा 2–14 बीघा, खसरा नं0 325 रकबा 2–17 बीघा एवं खसरा नं0 327 रकबा 0–14 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 6–05 बीघा में हिस्सा 1/2 प्रतिवादिगण के दादा घूला वल्द नाथू जाति कुम्हार निवासी मगीसपुर के खाते दर्ज रिकॉर्ड थी और शेष हिस्सा 1/2 वादी रामलाल के खाते दर्ज रिकॉर्ड था। सहखातेदार घूला जी द्वारा अपना हिस्सा जरिए रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र कमांक 494 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

15.06.1978 से वादि रामलाल वल्द भागीरथ को बेचान कर कब्जा सोंप दिया था। तब से ही वादि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर लगातार व शांति पूर्ण कब्जा कास्त चला आ रहा है लेकिन बेचान के 6 माह बाद ही विक्रेता घूला जी की मृत्यु हो जाने से और सहवन से उसका फोती नामान्तरण उनके पुत्र बाला, भीमा व भंवरलाल के नाम पर हो जाने से वादी के पक्ष में आज दिनांक तक नामान्तरण दर्ज नहीं हो पाया है। वादग्रस्त आराजी का स्वामित्व/टाईटल एवं कब्जाकास्त वादी रामलाल के पक्ष में निहित है। अतः वादी रामलाल ही वादग्रस्त आराजी का वास्तविक मालिका है। वादी ने अपने समर्थन में पडोसी खातेदारों के बयान भी कोर्ट में दर्ज करवाये है जो वादी के स्वामित्व व कब्जे को साबित करते है। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादिगण को कोई आपत्ति नहीं है और इसीलिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। वादी रामलाल के कुछ समय पूर्व मौत हो जाने से उनके वारिसान पक्षकार के रूप में दर्ज है। अतः वादिगण को अपने पिता रामलाल के स्वामित्व की वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादिगण के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

5. अभिभाषक वादीगण की एकतरफा बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादिगण द्वारा पेश जमाबंदी सम्मत् 2055–58 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 210 किता 3 रकबा 6–05 बीघा वादी रामलाल गुर्जर हिस्सा 1/2, एवं बाला वल्द घूला, बरजी बाई पुत्री भंवरलाल व गोपी वल्द भीमा जाति कुम्हार बांट बराबर हिस्सा 1/2 के खाते दर्ज रिकॉर्ड थी। वादिगण द्वारा पेश रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र कमांक 494 दिनांक 15.06.1978 के अवलोकन से जाहिर है कि सहखातेदार घूला पिता नाथू जाति कुम्हार द्वारा वादग्रस्त आराजी में उसके हिस्से 1/2 का बेचान 1500/– रू की प्रतिफल राशि में वादी रामलाल वल्द भागीरथ को बेचान कर कब्जा सौंप दिया था और केता को स्वयं की तरह काबिज मालिक हकदार स्वीकार कर लिया था। अतः स्पष्ट है कि बेचानशुदा वादग्रस्त आराजी का कब्जा व स्वामित्व वादी रामलाल में निहित हो चुका था लेकिन केता वादी

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

13

के पक्ष में राजस्व कार्मिकों के द्वारा नामान्तरण दर्ज नहीं करने और फिर विक्रेता घूला जी की मृत्यु हो जाने से विरासत का नामान्तरण दर्ज होने से वादी क्रेता के पक्ष में नामान्तरण दर्ज नहीं हो पाया है। राजस्व रिकॉर्ड में आज भी विक्रेता घूला जी के वारिसान– बाला, भीमा एवं बरजीबाई– खातेदार के रूप में दर्ज चले आ रहे है। किसी सम्पत्ति के वास्तविक मालिकाना हक के लिए टाईटल एवं कब्जा होना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण के पास टाईटल (title) एवं बरसों पुराना लगातार व शांतिपूर्ण कब्जा कास्त (Long, continuous and peaceful possession) है और इसलिए वादग्रस्त आराजी के कयशुदा हिस्से के वास्तविक मालिक है। विक्रेता धूला के लडके बाला के फोत होने के बाद भी राजस्व रिकार्ड में उन्ही का नाम दर्ज है। दूसरे लडके भीमा के स्थान पर उनका बेटा गोपी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है जबकि तीसरे पुत्र भंवरलाल के स्थान पर वारीस के रूप में बरजीबाई खातेदार दर्ज हो चुकी है।

6. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा बलवंतसिंह बनाम दोलतसिंह (1997) 7 एससीसी 137, सूरजभान बनाम वित्तीय कमिश्नर (2007) 6 एससीसी 186 फकरूद्दीन बनाम ताजुउद्दीन (2008) 8 एससीसी 12, नगर निगम औरंगाबाद बनाम महाराष्ट्र राज्य (2015) 16 एससीसी 689, भीमाभाई महादेव काम्बेकर बनाम आर्थूर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम्पनी (2019) 3 एससीसी 191, प्रहलाद प्रधान बनाम सोनू कुम्हार (2019) 10 एससीसी 259, अजीतकौर बनाम दर्शन सिंह (2019) 13 एससीसी 70 व अन्य मामलो में यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि जमाबंदी केवल फिस्कल उद्देश्य से तैयार की जाती है। जमाबंदी में नामान्तरण की प्रविष्टियों के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।**

7. किसी सम्पत्ति के वास्तविक स्वामित्व उस व्यक्ति में निहित होता है जिसके पक्ष में उस सम्पत्ति का टाईटल एवं भौतिक कब्जा हो। स्वामित्व का अर्थ है, किसी सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति या संस्था का पूर्ण (complete), कानूनी

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(legal) एवं अनन्य (exclusive) अधिकार होता है जिसमें सम्पत्ति का उपयोग व उपभोग करने, अंतरित करने या नष्ट करने का अधिकार भी शामिल होता है। पूर्ण अधिकार से तात्पर्य है मालिक को अपनी सम्पत्ति के उपभोग का सर्वोच्च अधिकार से है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का बेचान सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के अनुसार निष्पादित होना जाहिर होता है जिसमें एक अचल सम्पत्ति के रूप में कृषि भूमि का दो पक्षो के मध्य निश्चित प्रतिफल राशि के बदले में पूर्ण अधिकारो का हस्तानान्तरण हुआ है औरवादग्रस्त भूमि का मूल्य 100/- से अधिक होने के कारण पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन हुआ है। अतः उक्त रजिस्टर्ड बेचान प्रथम दृष्टया सही साबित होता है।

8. वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाहन पीडब्लु1 से पीडब्लु8 में सशपथ बयानों में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी पर जब से कब्जा संभलाया है तब से वादिगणों का कब्जा चला आ रहा है। हमारे जीवनकाल में वादिगणों के पिता का कब्जा चला आ रहा था। वादग्रस्त आराजी वादी रामलाल द्वारा 1978 में सहखातेदार घूला पुत्र नाथू कुम्हार से खरीदी थी। उक्त हिस्सा 1/2 भूमि को क्रय करने के बाद सम्पूर्ण भूमि पर क्रेता का कब्जा हो गया था। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर बेचान के बाद कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। अतः साक्ष्य गवाह भी वादीगण के कथनों का समर्थन करते है। **प्रतिवादीगण बावजूद सूचना एवं जरिए वकिल उपस्थिति न्यायालय से अनुपस्थित रहकर अपने समर्थन में कोई जवाब/साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किए है जिससे प्रथम दृष्टया प्रतित होता है कि प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।**

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम मंगीसपुर तहसील पिडावा की आराजी हाल खाता संख्या 273 के खसरा नम्बर 324 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 325 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 327 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा आराजी के क्रयशुदा हिस्से 1/2 पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(15)

–::क्रियात्मक आदेश::–

10. परिणामस्वरूप ग्राम मंगीसपुर तहसील पिडावा की आराजी खाता संख्या नया 273 के खसरा नम्बर 324 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 325 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 327 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा यानी 1.5807 हैक्टेयर आराजी में से कयशुदा हिस्सा 1/2 पर केता रामलाल का खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार गोपी पि. भीमा हि.1/6, बाला पि. धूला हि. 1/6 एवं बरजीबाई दत्तक पुत्री केशी हि. 1/6 (कुल 1/2 हिस्से पर) के स्थान पर केता रामलाल पि. भागीरथ जाति गुर्जर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रामलाल को खातेदार दर्ज कर तहसीलदार नियमानुसार वारीसान की जांच कर फोती नामान्तरण भी दर्ज करें। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/5/2026

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज०

Scanned with OKEN Scanner

(16)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 36/2017 दायर दिनांकः 18.04.2017

उनवान

1— (मृतक) रामलाल आ० भागीरथ जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/1— मदनलाल पिता रामलाल जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/2— हरिसिंह पिता रामलाल जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/3— बाबुलाल पिता रामलाल जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/4— धन्नालाल पिता रामलाल जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/5— भगतराम पिता रामलाल जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/6— ईश्वर पिता रामलाल जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल

—वादीगण

बनाम

1— (मृतक) कालूलाल उर्फ कालू वल्द बाला जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/1— दुर्गीलाल पिता कालूलाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/2— मांगीबाई पुत्री कालूलाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/3— ममताबाई पुत्री कालूलाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
1/4— कंकुबाई पुत्री कालूलाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
2— (मृतक) कन्हैयालाल उर्फ काना वल्द बाला जाति कुम्हार नि.मगीसपुर तहसील सुनेल
2/1— रचना पुत्री कन्हैयालाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
2/2— सपना पुत्री कन्हैयालाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
2/3— दिलीप पुत्र कन्हैयालाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
2/4— पुजा पुत्री कन्हैयालाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
2/5— भुलीबाई बैवा कन्हैयालाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
3— प्रभुबाई पुत्री बाला पत्नी शंकरलाल जाति कुम्हार नि. सिरपोई तह. सुनेल
4— (मृतक) बरजीबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी लालाजी जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
4/1— कंचनबाई माता बरजीबाई पत्नी रामकिशन जाति कुम्हार नि. मगीसपुर हाल मुकाम रायपुर तहसील रायपुर
4/2 रामकन्या माता बरजीबाई पत्नी कारुलाल जाति कुम्हार नि. मगीसपुर हाल मुकाम फफरोद तहसील झालरापाटन
5— (मृतक) गोपी वल्द भीमा जी जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
5/1— रामप्रसाद पिता गोपी जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
5/2 मोतीलाल पिता गोपी जाति कुम्हार नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
5/3 बादामबाई पुत्री गोपी पत्नी विष्णु जाति कुम्हार नि. मगीसपुर हाल मुकाम डूंगरगांव म.प्र.

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

6 ग्यारसीबाई पत्नी पूरीलाल जाति गुर्जर नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
7— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील सुनेल

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 91, 88, 209 रा/ज. टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक —

अभिभाषक वादीगण — श्री रामनाथ सिंह

प्रतिवादी सं. 1 से 6 — एकतरफा

प्रतिवादी सं. 7 — पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X.............. रूबरू..............X............................ मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

ग्राम मंगीसपुर तहसील पिडावा की आराजी खाता संख्या नया 273 के खसरा नम्बर 324 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 325 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 327 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा यानी 1.5807 हैक्टेयर आराजी में से क्रयशुदा हिस्सा 1/2 पर क्रेता रामलाल का खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार गोपी पि. भीमा हि.1/6, बाला पि. धूला हि. 1/6 एवं बरजीबाई दत्तक पुत्री केशी हि. 1/6 (कुल 1/2 हिस्से पर) के स्थान पर क्रेता रामलाल पि. भागीरथ जाति गुर्जर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रामलाल को खातेदार दर्ज कर तहसीलदार नियमानुसार वारीसान की जांच कर फोती नामान्तरण भी दर्ज करें।

15/5/26

(दिनेश कुमार ... एएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज०

निज ....X.................... मुवालिक ....X............ बावत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X... ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.............. अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 15.05.2026 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज०

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

2— पन्नालाल उर्फ काना वल्द बाला आयु 47 साल जाति कुम्हार